थे । उसके बाद इसका आवश्यकतानुसार विस्तार किया गया और अब इसमें ४१ तकनीकी कर्मचारी और लगभग १२,००,००० रुपये की लागत के उपकरण हैं ।

(ख) भारतीय खनि विभाग की प्रयोगशाला में अब कच्चे पदार्थों की विस्तृत ड्रेसिंग (Dressing), कच्चे पदार्थों और खनिज पदार्थों के रसायनिक विश्लेषण एंव शैल सम्बन्धी परीक्षण करने के लिये उपकरण भी मौजूद हैं । जैसे ही पायलट प्लान्ट (Pilot Plant) स्थापित करने के लिये स्थान उपलब्ध होगा इसी वर्तमान उपकरणों और कर्मचारियों से कुछ पायलट प्लान्ट परीक्षण किये जा सकेंगे ।

(ग) प्रयोगशाला स्थापित करने और अन्य सामग्री इत्यादि पर अब तक लगभग १३ लाख रुपये का कुल खर्च किया जा चुका है । सामग्री के लिये अभी लगभग ३५,००० रुपये और देने हैं ।

कोयले के पूर्वेक्षण का कार्यक्रम

६००. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खनि विभाग के कोयले के पूर्वेक्षण के विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत कोयला खानों के विकास के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) कोयले के पूर्वेक्षण के इन कार्यों का क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (श्री के० डे० मालवीय) : (क) भारतीय खनि विभाग को १९६१ तक प्रशासन क्षेत्र में १२ मिलियन (million) टन और कोयला उत्पादन करने के लिये आवश्यक संचित मात्रा प्रमाणित करने की विस्तृत पूर्वेक्षण करने का काम सौंप दिया गया है । विभाग ने इस काम के लिये आवश्यक कर्मचारी नियुक्त कर लिये हैं और आवश्यक उपकरण (equipment) भी खरीद लिये गये है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (National Coal Development Corporation) जो कोयले के वास्तविक उत्पादन के लिये उत्तरदायी है, द्वारा चुने हुये विभिन्न कोयला क्षेत्रों में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है । जनवरी, १९५८ के अन्त तक विभाग ने कुल २,५४,००० फुट पर खुदाई का कार्य पूरा कर लिया था ।

(ख) जनवरी, १९५८ के अन्त तक ५२८.८५ मिलियन (million) टन संचित मात्रा (Reserves) प्रमाणित कर दी गई है ।

पन्ना हीरा

६०१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पन्ना में हीरे के पूर्वेक्षण के लिये भारतीय खनि विभाग ने क्या कदम उठाये है ;

(ख) अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इन परिणामो के अनुसार भविष्य के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय) : (क) भारतीय खनि विभाग ने १९५५–५६ और १९५६–५७ में मझगांव के पन्ना हीरक क्षेत्र मे पाइप एरिया (Pipe area) से नमूने निकालने का कार्य किया । २० गढे खोदे गये और नमूने लिये गये ।

(ख) कई गढे खोदने से मालूम हुआ था कि ४० फुट नीचे हीरक द्रव्य मौजूद

था । नमूनों के परीक्षणों से प्रगट हो गया था कि इन हीरे की खानों पर काम करना आर्थिक रूप से भी लाभदायक प्रस्ताव था ।

(ग) विभाग ने इन खानों पर भविष्य में काम करने का निश्चित कार्य-क्रम अभी नहीं बनाया है, क्योंकि विभाग का कार्य-क्रम खानों को सरकारी अधिकार में ले लेने और उसके लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस काम पर धनराशि लगाने की मात्रा के निर्णय पर निर्भर है ।

Arrangement for Government Litigation

602. Shri Aniruddh Sinha: Will the Minister of Law be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 124 on the 13th November, 1957 regarding decisions arrived at the State Law Ministers' Conference and lay a statement on the Table showing the steps taken for:

(i) reducing legal expenses of Government;

(ii) making arrangements for Central Government's litigation in the High Courts and subordinate courts and State Government's litigation in the Supreme Court; and

(iii) providing legal aid to the poor?

The Deputy Minister of Law (Shri Hajarnavis): A statement is laid on the Table of the House. [*See* Appendix III, annexure No. 46.]

Arrears in High Courts

603. Shri Aniruddh Sinha: Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 124 on the 13th November, 1957 and lay a statement on the Table showing to what extent the decisions arrived at the State Law Ministers' Conference have so far been implemented for:

(i) clearing arrears in High Courts; and

(ii) checking corruption in the administrative machinery of Law Courts?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (i) The conclusions reached at the State Law Ministers' Conference held on the 18th and 19th September, 1957 were more in the nature of recommendations requiring action by the High Courts and the State Governments. Each Law Minister was requested to place before the Judges of the State High Court for their consideration the conclusions pertaining to the item—heavy arrears and delay in the High Courts. A conference of the Chief Justices of the various High Courts was held in the third week of October 1957. The conference discussed the measures to be taken to tackle the problem of arrears in the High Courts.

The Central Government have sanctioned the following temporary posts of Additional Judges to help in clearing the arrears.

Name of High Court	No. of Additional Judges sanctioned	Tenure of the post
Allahabad	2	Two years.
Andhra Pradesh	3	Two years.
Bombay	4	Till 31-12-'59.
Calcutta	4	Two years.